<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–181/2026</u>
<u>परिवाद–पत्र संख्या–221/2023.</u>
हरिनाथ साह बनाम् जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता
अंतर्गत धारा–406 of IPC.

<u>सी.एन.आर.नं0–BRSO01001028-2026</u>

जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता, पिता–श्री नारायण साह, उम्र करीब–34 वर्ष,
निवासी ग्राम–मिर्जापुर धोबाही, थाना–फतहपुर, जिला–शिवहर.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता –श्री मधुकांत पाण्डेय/श्री राजीव कुमार पाण्डे।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
21.05.2026

<u>दिनांक–21.05.2026</u> **<u>आदेश</u>**

आवेदक अभियुक्त–जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता, जिनका मामला परिवाद पत्र संख्या–221/2023, अंतर्गत धारा–**406 भारतीय दंड संहिता** के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मधुकान्त पाण्डेय एवं श्री राजीव कुमार पाण्डेय के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला परिवाद–पत्र के अनुसार संक्षेप में यह है कि–परिवादी हरिनाथ साह एवं आवेदक जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता दोनों पूर्व परिचित हैं तथा मित्रवत संबंध होने के कारण दिनांक–01.02.2023 को जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता, परिवादी के घर पर गये और अपने व्यवसाय, जिनका मेन रोड जीरोमाईल चौक, केनरा बैंक के समीप परी ड्रेसेज के नाम से दुकान है, का विस्तार के लिए पॉच लाख रुपया की आवश्यकता बताकर, माल मॅगाकर दिनांक–31.03.2023 तक बेचकर रुपया वापस कर देंगे की बात कहा तो परिवादी उन पर विश्वास कर पॉच लाख रुपया जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता को साक्षीगण के समक्ष दे दिया। बतौर सबूत के तौर पर जयशंकर कुमार ने दिनांक–03.02.2023 को कार्यपालक दंडाधिकारी, शिवहर के द्वारा बनाया गया शपथ–पत्र परिवादी को दे दिया। जब जयशंकर कुमार ने दिनांक–31.03.2023 तक परिवादी का रुपया वापस नहीं किया तो परिवादी मौखिक रूप से तगादा किये, लेकिन जयशंकर कुमार टाल–मटोल करते रहे, तब परिवादी ने दिनांक–14.06.2023 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जयशंकर कुमार को विधिक सूचना भेज कर रुपया की मॉग किये, जिसके प्रतिउत्तर में जयशंकर कुमार ने रुपया लेने की बात से इनकार कर दिया, जिससे परिवादी को आर्थिक एवं मानसिक आघात पहुॅचा और परिवादी को विश्वास हो गया कि अभियुक्त ने छल पूर्वक पॉच लाख रुपया लेकर सबूत के तौर पर शपथ–पत्र बनाकर धोखाधड़ी करके रुपया हजम करना चाहता है। तब परिवादी ने न्यायालय के समक्ष परिवाद–पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का इस केस के अलावे दो केस है, जो 138 एन0आई0एक्ट से संबंधित है। इसके अलावा दूसरा कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक

लगातार/–

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–181 / 2026
परिवाद–पत्र संख्या–221 / 2023.
हरिनाथ साह बनाम् जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता
अंतर्गत धारा–406 of IPC.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01001028-2026

दिनांक–21.05.2026 **–2–**

के विरूद्व अजमानतीय धाराओं में संज्ञान हुआ है। आवेदक के उपर लगाया गया अभियोग स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। वास्तविकता है कि आवेदक ने अशोक कुमार से पूर्व में रुपया लिए थे, जिसके लिए अशोक कुमार के कहने पर आवेदक ने सादे कागज पर हस्ताक्षर कर सबूत के तौर पर दिये थे और उसी हस्ताक्षर किए हुए सादे कागज का दुरुपयोग परिवादी को मेल में लेकर अशोक कुमार ने किया है। आवेदक ने साक्षी अशोक कुमार से एक लाख रुपया लिया था, ना कि परिवादी से और आवेदक उक्त एक लाख रुपया किस्त पर विद्वान न्यायालय के समक्ष जमा करने को तैयार है। आवेदक ने कभी भी परिवादी से न तो पैसा उधार लिया है और न ही कोई कागज बनाकर दिया है, यहॉ तक कि परिवादी से आज तक आवेदक परिचित भी नहीं है। वास्तविकता है कि आवेदक के साथ परिवादी एवं अन्य ने मिलकर दिनांक–05.08.2023 को मारपीट एवं धोखाा़ड़ी किये थे, जिसके लिए आवेदक ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में परिवाद–पत्र संख्या–230 / 2023 (परिवाद–पत्र की छायाप्रति संलग्न) किये थे, जो विचारण हेतु लंबित है और उसी से बचने के लिए यह पलटा वाद परिवादी द्वारा किया गया है। आवेदक सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा परिवाद–पत्र एवं वाद से संबंधित मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता, जो परिवाद–पत्र के नामजद हैं, पर परिवादी से अपने व्यवसाय के विस्तार हेतु पॉच लाख रुपया लेने, (जिसके संबंध में मूल अभिलेख पर कार्यपालक दंडाधिकारी, शिवहर के समक्ष आवेदक अभियुक्त के द्वारा परिवादी से पॉच लाख रुपया लिए जाने के सबंध में बनाया गया शपथ–पत्र उपलब्ध है), एवं रुपया वापस करने की समयावधि बीत जाने एवं तगादा एवं विधिक नोटिस दिये जाने के बाद भी परिवादी को रुपया वापस नहीं करने का आरोप है। जबकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष कहा गया कि–आवेदक ने साक्षी अशोक कुमार से एक लाख रुपया लिया था, ना कि परिवादी से और आवेदक उक्त एक लाख रुपया इंस्टौलमेंट / किस्त पर विद्वान न्यायालय के समक्ष जमा करने को तैयार है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगे आरोप को प्रथम दृष्टया धारा–406 भारतीय दंड संहिता में सत्य पाया गया है तथा परिवादी सहित एक अन्य साक्षी का साक्ष्य हो चुका है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में आवेदक अभियुक्त को परिवादी से रुपया लेने की बात का समर्थन किया है। वाद अभी उपस्थिति हेतु लंबित है। न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत परिवाद–पत्र के परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पते पर दिनांक–07.05.2026 को नोटिस भी निर्गत कराया गया था, जो परिवादी के पते पर दिनांक–09.05.2026 को प्राप्त भी हुआ (जिसके समर्थन में आवेदक की ओर से परिवाद को भेजे गये स्पीड पोस्ट के ट्रैकिंग रिपोर्ट की वेब प्रति लिस्ट ऑफ डाक्युमेंट के साथ न्यायालय में उपलब्ध करायी गई है), बावजूद प्रस्तुत वाद के परिवादी आज की तिथि तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी को अधिकृत ही किये। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद है एवं प्रस्तुत वाद के आवेदक अभियुक्त के द्वारा भी परिवादी एवं अन्य के विरूद्व न्यायालय के समक्ष परिवाद–पत्र संख्या–230 / 2023 दाखिल किया गया है, जिसकी छाया–प्रति प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न की गई है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका–03. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व पूर्व से 138–एन0आई0 एक्ट से संबंधित दो केस दर्ज है।

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–181 / 2026
परिवाद–पत्र संख्या–221 / 2023.
हरिनाथ साह बनाम् जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता
अंतर्गत धारा–406 of IPC.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01001028-2026

दिनांक–21.05.2026 **–3–**

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त–जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर कुमार गुप्ता को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर ाारा–482(2)बी0एन0एस0एस0 के शर्त एवं इस शर्त के साथ कि–01. वे एक लाख रुपया, (पचास–पचास हजार रुपया करके, कुल–एक लाख रुपया) दो किस्तों में, विचारण न्यायालय के अगले आदेश तक नजारत में जमा करेंगे। विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय के आदेशानुसार जमा एक लाख रुपया संबंधित पक्षकार को प्राप्त होगा। प्रथम किस्त पचास हजार रुपया, सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण करते हुए जमानत बंध–पत्र दाखिल करते समय एवं द्वितीय किस्त पचास हजार रुपया, न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण करने की तिथि से एक माह के अन्दर। साथ ही वे वाद के अंतिम निष्पादन होने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और यदि वे वाद के लिए निर्धारित दो लगातार तिथियों को बिना किसी उचित कारण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो सम्बद्व विचारण न्यायालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक अभियुक्त को प्रदत्त अग्रिम जमानत की सुविधा को खंडित कर सकेंगे, अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0 / –

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
21.05.2026